न्यायालय–संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–192/2015

CIS No.-TS 114/2019

सुरेश साह एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

दिलीप कुमार एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
25.11.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। प्रतिवादी सं0–09 की ओर से एक आवेदन दिनांक 09.09.2025 अंतर्गत भारतीय परिसीमन अधिनियम की धारा–5 को उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित कर कहा गया कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0–09 बनारस साह दिनांक 10.06.2025 को उपस्थित हुए है। प्रतिवादी सं0–09 घर से बाहर रहकर मजदूरी करते है तथा ब्यान तहरीरी दाखिल करने के लिए आज न्यायालय में आये है। प्रतिवादी सं0–09 बनारस साह को अपना ब्यान तहरीरी दाखिल करने में दो दिन का विलम्ब हुआ है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि विलम्ब को माफ करते हुए ब्यान तहरीरी को ग्रहण करने की कृपा करे। वादीगण की ओर से प्रतिवादी सं0–09 के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद अग्रिम कार्रवाई हेतु नियत है। प्रतिवादी सं0–09 निवेदन करते है कि घर से बाहर रहकर मजदूरी करते है एवं अपना ब्यान तहरीरी दो दिन के विलंब से दाखिल किए है। लेहाजा प्रतिवादी सं0–09 की ओर से दाखिल ब्यान तहरीरी को विलम्ब माफ करते हुए ग्रहण किया	

न्यायालय–संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–192/2015

CIS No.-TS 114/2019

सुरेश साह एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

दिलीप कुमार एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 25.11.2025	जाए। चूंकि प्रतिवादी सं0–09 इस वाद में संघर्ष करना चाहते है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं0–09 का आवेदन न्यायसंगत है और इससे वाद की प्रकृति पर कोई विपरीत असर पड़ता प्रतीत नहीं होता है। अतः न्यायहीत में प्रतिवादी सं0–09 का आवेदन दिनांक 09.09.2025 को मो0–500 रूपया हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। वाद दिनांक 13.01.2026 वास्ते अग्रिम कार्रवाई हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	